

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या- 1664/छप्पन-2019-31/2016
लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

[(नियम-3 का उपनियम (1))]

सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारम्भिक अधिसूचना

एस0आई0ए0 अधिसूचना

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वार्ड स्तर के सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो परामर्श कर निर्मांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन किया जायेगा।

- > **अपेक्षक निकाय का नाम-** नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- > **प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य-** ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर का निर्माण।
- > **संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा-** गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा (गौतमबुद्धनगर)
- > **संगठन का संपर्क विवरण-** गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा (गौतमबुद्धनगर) 201312
- > **भूमि का विवरण-** ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से विस्थापित कुटुम्बों के स्थापन क्षेत्र हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर बांगर	48.097

- > **प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ तथा संक्षिप्त विवरण-** एयरपोर्ट विकसित होने से औद्योगिक अवस्थापना का संरचनात्मक विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा हवाई यातायात सुगम होगा, साथ ही पर्यटन में वृद्धि होगी।
- > **परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल-** जनपद गौतमबुद्धनगर की तहसील जेवर के उपरोक्तानुसार 01 ग्राम तथा लगभग क्षेत्र 48.097 हेक्टेयर भूमि।
- > **क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता है?**
अधिनियम/नियम अनुसार।
- > **सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि-** 31 अक्टूबर, 2019

ध्यानी- कलैक्टर (अर्जन प्रयोजनार्थ), गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में विस्तृत विवरण जा सकता है।

उक्त एजेन्सी अपनी आख्या/रिपोर्ट 60 दिन में नागरिक उड्डयन विभाग को प्रस्तुत करेगी। इस एजेन्सी पर होने वाला व्यय नागरिक उड्डयन विभाग/निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा।

(एस०पी० गोयल)
प्रमुख सचिव

उ०सं०- 1664(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।

आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशक, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ०प्र०, लखनऊ।


मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपसा/यूपीडा/नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।

स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।

निजी सचिव, मा० मंत्री, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० शासन।

गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी)

अनु सचिव